

# મારણ-પોષણ



પ્રકાશક  
'ન્યાય સદન'  
ગ્રામીણ રાજ્ય વિધિક સેવા પ્રાધિકાર  
ડોરપણા, રોંગી

# **भरण – पोषण**

प्रकाशक :

**‘न्याय सदन’**  
**झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार**  
डोरण्डा, राँची

## भरण – पोषण

महिलाओं के भरण–पोषण संबंधित पति से अधिकार।

- ❖ महिलाएं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण–पोषण प्राप्त करने की हकदार हैं।
- ❖ भरण–पोषण के लिये महिला सक्षम न्यायालय में साधारण आवेदन देकर अपने पति के विरुद्ध भरण–पोषण की मांग कर सकती हैं।
- ❖ न्यायालय की यह जिम्मेदारी है, कि वह भरण–पोषण सम्बन्धी आवेदन को जल्द से

जल्द तय करे। भरण—पोषण से संबंधित आवेदन को तय करते समय न्यायालय साधारण जाँच करेगी न कि कानूनी दाँव — पेंच में पड़ेगी। इस प्रकार के आवेदन का फैसला जल्द से जल्द किया जायेगा। न्यायालय जो भी उचित समझे, उतना भरण—पोषण देने का आदेश पारित कर सकता है।

- ❖ न्यायालय भरण—पोषण के आवेदन के तय होने के बीच में अंतरिम भरण—पोषण देने का आदेश पारित कर सकता है।
- ❖ भरण—पोषण को तय करते समय पति के वेतन आर्थिक स्थिति तथा पत्नी के

रहन—सहन के खर्चों को नजर में रखकर  
दिया जायेगा ।

निम्नलिखित दशाओं में महिलाओं को  
भरण—पोषण नहीं दिया जायेगा —

1. जो जारता (महिला का किसी अन्य व्यक्ति  
के साथ रहना) की दशा में रह रही हो ।
2. जो अपनी मर्जी से, बिना किसी उचित  
कारण के अपने पति से अलग रह रही हो ।
3. जिसने दोबारा शादी कर ली हो ।
4. पारस्परिक सहमति से अगर दोनों अलग —  
अलग रह रहे हों ।

यह अधिकार दण्ड न्यायालय या फिर सिविल विधि के अन्तर्गत सिविल न्यायालय से लागू कराया जा सकता है।

हिन्दू महिलायें, धारा 24 हिन्दू विवाह अधिनियम में भरण—पोषण प्राप्त कर सकती हैं या तलाक के मुकदमे के दौरान महिला इस अधिनियम के तहत भरण—पोषण प्राप्त कर सकती है।

धारा—25 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत तलाक होने पर कोई भी महिला स्थायी भरण—पोषण प्राप्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकती है।

मुस्लिम विवाहित महिला के भरण—पोषण  
की अवधि इदृत तक सीमित रखी गई है।

इदृत का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि  
पत्नी गर्भवती तो नहीं है अगर वह गर्भवती है  
तो भरण — पोषण बच्चे के पैदा होने तक  
मिलता है।

मुस्लिम तलाकशुदा महिला भरण — पोषण  
के लिये अपने माँ — बाप बच्चे या फिर रिश्तेदार  
जो उसकी जायदाद के वारिस होंगे या  
वक्फ बोर्ड, से भरण — पोषण की माँग कर  
सकती है।

मुस्लिम महिला, धारा 125 दण्ड प्रक्रिया

संहिता के अन्तर्गत भरण – पोषण का लाभ तभी उठा सकती है जब वह अपने निकाहनामे में यह लिखे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत अर्जी देने से तलाकशुदा औरत अपने शौहर से भरण – पोषण ले सकती है। इससे महिला को भरण – पोषण अन्य महिलाओं की तरह असीमित अवधि तक अपने पति से मिल सकता है।

**भरण – पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कहाँ प्रस्तुत करें ?**

- ❖ भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु कोई भी महिला एक साधारण प्रार्थना पत्र जिले के कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अपने पति से

भरण—पोषण की मांग कर सकती है जिस जिले में वह निवास करती है।

- ❖ भरण—पोषण प्राप्त करने के लिए कोई भी विवाहिता महिला उस जिले के कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है जिस जिले में उसका पति निवास करता हो।
- ❖ भरण—पोषण के लिए उस स्थान पर भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है जिस स्थान पर दोनों पति—पत्नी अन्तिम बार एक साथ रहे हों।



प्रकाशक  
‘न्याय सदन’

ज्ञारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार  
डोरण्डा, रौती

फोन : 0651-2481520, 2482392 फैक्स : 0651-2482397

ई-मेल : [jhalsaranchi@gmail.com](mailto:jhalsaranchi@gmail.com)

वेबसाइट : <http://www.jhalsa.nic.in>